

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 813/2024**

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "IRONY ON WORLD ENVIRONMENT DAY U.P. FOREST CORPORATION TO AUCTION 400 GREEN TREES IN LUCKNOW ON JUNE 5" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 04.06.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, LUCKNOW ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLAINT OF ORDER DATED 13.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE GOVERNMENT NOTIFICATION DATED 07.01.2020 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE LETTER DATED 17.02.2024 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 28.06.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER NO. 13174/2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4	

6.	A COPY OF THE VALUATION LIST IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF THE PERMISSION VIDE LETTER DATED 24.05.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF LETTER DATED 08.05.2025 AND THE LIST OF SPECIES OF TREES PLANTED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF THE VALUATION LIST IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	

THROUGH COUNSEL




BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNCIL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)

bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 16.09.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 813/2024



IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "IRONY ON WORLD ENVIRONMENT DAY U.P. FOREST CORPORATION TO AUCTION 400 GREEN TREES IN LUCKNOW ON JUNE 5" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 04.06.2024

ADDITIONAL AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, LUCKNOW ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLAINT OF ORDER DATED 13.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Sitanshu Pandey, aged about 36 years, S/o Shri S.N. Pandey, posted as Divisional Forest Officer, Lucknow, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Sitanshu Pandey, Divisional Forest Officer, Lucknow, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.



2. That the present Original Application, registered suo-motu, the Tribunal is considering the issue of felling and auction of 400 green trees in Lucknow, Uttar Pradesh.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 13.05.2025 directed the answering Respondent to place on record the relevant details relating to the valuation of the trees which have been permitted to be cut as also the compensatory plantation condition and its compliance. The operative paragraph of the order is as stated below:

"...1. Learned counsel appearing for the State of UP seeks three weeks' time to place on record the relevant details relating to the valuation of the trees which have been permitted to be cut as also the compensatory plantation condition and its compliance. The prayer is allowed..."

4. That in compliance of the aforementioned directions issued by the Hon'ble Tribunal, the relevant details are as follows:



UPSRTC (CONCERNING 92 TREES)

5. NO. OF TREES PERMITTED TO FELL:

- i. That vide letter dated 22.02.2024 (*ANNEXURE-5; judicial page no. 120*), the DFO, Lucknow granted the permission to fell 92 trees to the Project Proponent. The permission was granted for the trees obstructing the development of the bus station and office premises by the UPSRTC. The permission was granted as per the government notification dated 07.01.2020.

A copy of the Government Notification dated 07.01.2020 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

- ii. That the DFO, Lucknow issued the permission of felling of trees upon the following conditions:
- a. 10 times compensatory afforestation at the cost of the UPSRTC
i.e. plantation of 920 trees.
 - b. No other trees shall be felled or harmed in any way apart from the trees permitted to fell.
 - c. Validity of the permission was granted up to 30.03.2024.
 - d. For transportation of the wood, strict compliance shall be ensured with the U.P. Timber Transit Rules, 1978.



- e. Deposition of Rs. 1,03,000/- as security for the compensatory afforestation in lieu of the 92 trees felled.
- f. Deposition of Rs. 13,060/- for felling permission/assessment fees. It is submitted before the Hon'ble Tribunal that the PP has duly deposited the aforementioned amount to the Forest Department vide Demand Draft dated 30.01.2024.

6. COMPENSATORY PLANTATION CONDITIONS:

- i. 10 times compensatory afforestation at the cost of the UPSRTC i.e. plantation of 920 trees.
- ii. Deposition of Rs. 1,03,000/- as security for the compensatory afforestation in lieu of the trees felled.
- iii. The plantation of 920 trees shall be carried out within 5 years.

7. COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF COMPENSATORY PLANTATIONS:

- i. It is humbly submitted that UPSRTC vide letter no. 2521/2024 dated 17.02.2024 earlier deposited Rs 1,03,000/- to Forest Department with condition that they will plant the 10 times compensatory afforestation and maintain it for 5 years.



A copy of the letter dated 17.02.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

- ii. That thereafter, vide letter dated 28.06.2025 UPSRTC requested Forest department to plant 10 times the trees regarding which the UPSRTC had to pay Rs. 45,23,057/- for the tree plantation as well as Iron Tree Guards. However, the UPSRTC requested reduction in the demanded amount for tree plantation in the interest of the corporation. Therefore, amount of Rs. 33,58,333/- was then demanded by the Forest Department from UPSRTC which was then duly paid by them vide letter no. 13174/2025 for compensatory afforestation at the site with HDPI trees guards, which after following due process will be done by the forest department.

A copy of letter dated 28.06.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

A copy of letter no. 13174/2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.



8. **VALUATION OF THE TREES FELLED:**

That the valuation list dated 28.12.2024 of the trees felled has been sent to the DFO by the Range Forest Officer, Lucknow. The total valuation of the 92 trees felled is Rs. 1,95,519/-, as per the valuation list provided.

A copy of the valuation list is annexed herewith and marked as ANNEXURE-5.

UPSIDA (CONCERNING 308 TREES)

9. **NO. OF TREES PERMITTED TO FELL:**

- i. That the DFO vide letter dated 24.05.2024 granted the permission for felling of 308 trees to UPSIDA. The permission was granted only for the trees obstructing the development of buildings and sheds at the premises of M/s Ashok Leyland located at Sarojini Nagar Industrial Area, Lucknow. The permission was granted as per the government notification dated 07.01.2020 (*marked as ANNEXURE- 1 in the present affidavit*).

A copy of the permission vide letter dated 24.05.2024 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-6.



- ii. That the DFO, Lucknow issued the permission of felling of trees upon the following conditions:
- a. 10 times compensatory afforestation at the cost of the UPSRTC
i.e. plantation of 3080 trees.
 - b. No other trees shall be felled or harmed in any way apart from the trees permitted to fell.
 - c. For transportation of the wood, strict compliance shall be ensured with the U.P. Timber Transit Rules, 1978.
 - d. Deposition of Rs. 3,08,000/- as security for the compensatory afforestation in lieu of the 308 trees felled.
 - e. Deposition of Rs. 40,040/- for felling permission/assessment fees. It is submitted before the Hon'ble Tribunal that the PP has duly deposited the aforementioned amount to the Forest Department vide Demand Draft dated 21.05.2024.

10. COMPENSATORY PLANTATION CONDITIONS:

- i. 10 times compensatory plantation of trees at the cost of the Project Proponent i.e. plantation of 3080 trees.
- ii. Deposition of Rs. 3,08,000/- as security for the compensatory afforestation in lieu of the trees felled with the Forest Department.



- iii. The plantation of 3080 trees shall be carried out within 5 years.

11. COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF COMPENSATORY PLANTATIONS:

- i. That as per letter dated 08.05.2025 by the UPSIDA to the Forest Department, it is informed that 2500 trees have been planted in the year 2024-25 in the Telco Campus of Industrial Area, Chinhhat, Lucknow.

A copy of letter dated 08.05.2025 and the list of species of trees planted is annexed herewith and marked as ANNEXURE-7.

- ii. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that as per the above-mentioned letter, the remaining 580 trees will be planted during the year 2025-26.
- iii. That the amount of Rs. 3,08,000/- has been deposited by the Project Proponent vide the FDR dated 21.05.2024.

12. VALUATION OF THE TREES FELLED:

That the valuation list of the 308 trees felled has been submitted to the DFO. The total valuation of the 308 trees felled is Rs. 8,17,616/-, as per the valuation list prepared.



A copy of the valuation list is annexed herewith and marked as ANNEXURE-8.

13.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.


14.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 16 day of September, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT



ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC

16 SEP 2025

क्रम-संख्या-3



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

पौष 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश-शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 24/81-5-2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प0आ0-2

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निपातित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौंजी, (14) खिरनी, (15) कैंथा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) भिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हलदू, (25) बाकली/करघई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2-प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुनोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या सनुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। सनुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैला और जब अपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

3-निर्मातित किये जाने वाले वृक्षों और (निर्मातित किये गये वृक्षों के बदले में) इतनी किये जाने वाले प्रतिपूरक वृक्षों का अक्षांश एवं वेहानांतर सक्षम अधिकारी से निमानत अनुहा प्रपत्र बनाने हेतु आवेदन वाले समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4-वृक्ष स्वामी, निर्मातित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुरक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की स्थिति में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुरक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग दनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5-उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को सतकी कृषि भूमि पर अवशिष्ट वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07, 93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93

Dated Lucknow, January 7, 2020

IN exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protections of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiranjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Ritha, (XXI) Bhalawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31st December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (in lieu of felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission from the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 549 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1335)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पर्यावरण-2020-(1336)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ-226001
ईमेल-rmlko12@gmail.com

पत्रांक: 2521 / ल0क्षे0 / क्षे0प्र0 / पीपीपी-क्षेत्रीय कार्यशाला / वृक्ष पातन / 2024 दिनांक: 17.02.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग, उ0प्र0
21/475, तृतीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ।

अवध वन प्रभाग, लखनऊ
कॉपी नं. 4389
पत्रांक 22-10
दिनांक 20.02.2024

विषय:- उ0प्र0 परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ परिसर में निर्माण कार्य में बाधक 103 हरे खड़े वृक्षों की पातन अनुमति शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक: 6320/22-10, लखनऊ दिनांक 09.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक: 1461 दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से 10 गुना ट्रीगार्ड वृक्षारोपण कराने हेतु शपथ पत्र एवं पातन/मूल्यांकन शुल्क हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 285087 दिनांक 30.01.2024 धनराशि रू0 13060/- प्राप्त हो जाने से अवगत कराते हुये निम्नवत् अवगत कराया गया है :-

उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथा-संशोधित) एवं उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 की शासनादेश संख्या: 24/81-5-2020-07-93 दिनांक 07.01.2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत 10 गुने वृक्षों के रोपण का प्राविधान है। अतः काटे गये 01 वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों को रोपण कराना आवश्यक है। रोपण कराने के पश्चात् नियमानुसार जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी, रोपण न कराने की दशा में जमानत धनराशि वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार 103 x 10 = 1030 वृक्षों हेतु रू0 100/- प्रति वृक्ष की दर से कुल रू0 1,03,000.00 की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 (6 वर्षीय) प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पदनाम पर बन्धक कर जमानत के रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अतः रू0 1,03,000.00 (रू0 एक लाख तीन हजार मात्र) प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पदनाम से बन्धक कर एफ0डी0आर0 संख्या: 246860.PU.00022878 दिनांक 16.02.2024 (6 वर्षीय) जमानत के रूप में मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। कृपया क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के पी0पी0पी0 निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के पातन अनुमति हेतु अग्रतत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त। (धनराशि रू0 1,03,000.00 की एफडीआर मूल रूप में)

भवदीय

(आर0के0 त्रिपाठी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान प्रबन्धक (पी0पी0पी0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

(आर0के0 त्रिपाठी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

RC
Pau
DFO
19/2/24



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ क्षेत्र, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ-226001
ईमेल-rmlko12@gmail.com

पत्रांक: 9384 / ल0क्ष0 / क्ष0प्र0 / पीपीपी मॉडल-वृक्षपातन / एन0जी0टी0 / 25 दिनांक: .06.2025

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग, 21/475, तृतीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(ई मेल- dfolucknow@gmail.com & dfolu@nic.in)

अवध वन प्रभाग, लखनऊ
पत्रांक: 138
दिनांक: 29-06
2025

विषय:-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष दाखिल Original Application no. 813/2024 (News Item title "Irony on World Environment Day U.P. Forest Corporation to auction 400 greens in Lucknow on June 5" published in The Hindustan Times dated 04-06-2024) में मा0 अधिकरण के समक्ष उ0प्र0 परिवहन निगम का पक्ष प्रस्तुत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या: 838एलएस/2025-357एलएस/2025 दिनांक: 18.06.2025 एवं उसके साथ संलग्न क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र के पत्रांक: 5161/क्ष0प्र0/गा0बाद/विधि-अनु0भा0/2025 दिनांक: 17.06.2025 तथा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक: 13.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 17.09.2025 नियत है, जिसके एक सप्ताह पूर्व उ0प्र0 परिवहन निगम का पक्ष प्रस्तुत कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 परिवहन निगम को नोटिस प्रेषित की गयी है, से अवगत कराते हुये, प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत आख्या/अभिलेख क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद को उपलब्ध कराते हुये, प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 17.09.2025 से एक सप्ताह पूर्व मा0 अधिकरण के समक्ष उ0प्र0 परिवहन निगम की ओर से शपथपत्र दाखिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण पी0पी0पी0 मॉडल से आच्छादित क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में निर्माण कार्य में बाधक 92 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि उक्त 92 वृक्षों का पातन कराये जाने हेतु पूर्व में आपके कार्यालय पत्रांक: 4809/22-10, लखनऊ दिनांक: 21.12.2023 के द्वारा परिवहन निगम के स्वामित्व वाले 92 तथा वन विभाग के स्वामित्व वाले 11 वृक्ष कुल 103 हरे खड़े वृक्षों की पातन अनुमति हेतु क्षतिपूरक धनराशि रू0 45,23,057.00 तथा पातन/मूल्यांकन शुल्क हेतु धनराशि रू0 13,060.00 की मांग की गयी थी, जिसमें इस कार्यालय के पत्रांक: 1461 दिनांक: 30.01.2025 के द्वारा डी0डी0 संख्या- 285087 दिनांक: 30.01.2024 के माध्यम से पातन/मूल्यांकन शुल्क की धनराशि रू0 13,060.00 जमा करायी गयी है परन्तु तत्समय परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये, निगम के उच्च प्रबन्धन द्वारा उपरोक्त क्षतिपूरक धनराशि रू0 45,23,057.00 की स्वीकृति प्रदान नहीं करते हुये, इसे निगम हित में माफ कराये जाने के निर्देश अघोइस्ताक्षरी को दिये जाने के अनुपालन में तत्समय इसे माफ किये जाने का अनुरोध महोदय से किया गया था, जिस पर आपके कार्यालय पत्रांक: 6320/22-10, लखनऊ दिनांक: 09.02.2025 के अनुक्रम में उपरोक्त क्षतिपूरक धनराशि की माफी हेतु जमानत धनराशि रू0 1,03,000.00 की 06 वर्षीय एफ0डी0आर0 दिनांक: 16.02.2025, इस कार्यालय के पत्रांक: 2521 दिनांक: 17.02.2024 के द्वारा आपके कार्यालय में जमा करायी गयी है। आपके उक्त पत्र दिनांक: 09.02.2024 के अनुपालन में 10 गुना वृक्षों के रोपण के प्राविधान के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के वर्षाकाल में

क्रमशः पृष्ठ 02 पर

21/06/25

84
DFD
02/06/25


-02-

वृक्षा रोपण कराये जाने की कार्यवाही से इस कार्यालय के पत्रांक: 2978 दिनांक: 07.03.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है परन्तु इतने वृहद वृक्षा रोपण हेतु परिवहन निगम के पास कोई स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी सुरक्षा एवं देखरेख के अभाव में कारया गया वृक्षारोपण सफल नहीं रहा है।

वर्तमान में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली से प्राप्त उपरोक्त नोटिस पत्र दिनांक: 13.05.2025 का निस्तारण कराये जाने हेतु आपसे सम्पर्क कर पूर्व में आपके विभाग द्वारा मांगी गयी उपरोक्त क्षतिपूरक धनराशि रू0 45,23,057.00 जमा कराते हुये निगम हित में समाधान कराये जाने के निर्देश निगम के उच्च प्रबन्धन द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिये गये है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त 92 लाट में सम्मिलित वन विभाग के स्वामित्व वाले 11 वृक्षों का पातन कराये जाने हेतु प्रभागीय लौगिग प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ को आपके कार्यालय पत्रांक: 8637/22-3(लाट) दिनांक: 12.04.2024 के द्वारा विदोहन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उक्त 11 वृक्षों का पातन अभी तक सम्बन्धित द्वारा नहीं किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली से प्राप्त उपरोक्त नोटिस पत्र दिनांक: 13.05.2025 का पूर्व में मांगी गयी क्षतिपूरक धनराशि रू0 45,23,057.00 को निगम हित में कम करते हुये, संशोधित धनराशि जमा कराते हुये निस्तारण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

 (आर0के0 त्रिपाठी)
 क्षेत्रीय प्रबन्धक



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ क्षेत्र, 06 सप्रू मार्ग, लखनऊ-226001
ईमेल-rmlko12@gmail.com

पत्रांक: 13174 / ल0क्षे0 / क्षे0प्र0 / एनजीटी / क्षेत्रीय कार्यशाला / 2025

दिनांक: 10.09.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग, 21/475, तृतीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(ई मेल- dfolucknow@gmail.com & dfolu@nic.in)

विषय:- उ0प्र0 परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ परिसर में निर्माण कार्य में बाधक 92 एवं 11 (कुल 103) हरे खड़े खतरनाक वृक्षों की क्षतिपूरक धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक: 389/22-10, लखनऊ दिनांक: 17.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित संदर्भ में परिवहन निगम के स्वामित्व वाले 92 तथा वन विभाग के स्वामित्व वाले 11 कुल 103 हरे खड़े वृक्षों की क्षतिपूरक धनराशि रू0 45,23,057/- को निगम हित में कम करके संशोधित धनराशि जमा कराये जाने के अनुरोध के अनुक्रम में संशोधित धनराशि रू0 33,58,333/- (रू0 तैतीस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ तैतीस मात्र) जमा कराये जाने हेतु निर्देशित करते हुये, प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन है, अवगत कराया गया है।

अतः उपरोक्त निर्देशानुपालन में संशोधित क्षतिपूरक धनराशि रू0 33,58,333/- (रू0 तैतीस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ तैतीस मात्र) हेतु पंजाब नेशनल बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या: 738011 दिनांक: 10.09.2025 मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि कृपया उपरोक्त 103 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना पौधों का वृक्षारोपण कराये जाने हेतु उ0प्र0 परिवहन निगम के पास कोई भूमि तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, को दृष्टिगत रखते हुये, अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

1- रू0 33,58,333.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 738011 मूल रूप में।

भवदीय

(आर0के0 त्रिपाठी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- प्रधान प्रबन्धक (पी0पी0पी0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र।
- 4- सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 5- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
- 6- श्री निशीत अग्रवाल, निगम पैनल अधिवक्ता, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

(आर0के0 त्रिपाठी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

अवध वन प्रभाग, लखनऊ

पत्र संख्या 1081

सदर सबब 22-10

दिनांक 11/09/25

RC/CC

DFD

11/9/25



THE NATIONAL BANK OF COMMERCE
100 WALL STREET, NEW YORK

AMOUNT \$ 738011

NO. 738011 IN GOOD PAYMENT

THIS CHECK IS VALID ONLY IF THE SIGNATURE OF THE ISSUING OFFICER IS VERIFIED BY THE SIGNATURE OF THE RECEIVING OFFICER.

RECEIVED BY THE ISSUING OFFICER

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

THIS CHECK IS VALID ONLY IF THE SIGNATURE OF THE ISSUING OFFICER IS VERIFIED BY THE SIGNATURE OF THE RECEIVING OFFICER.

THE NATIONAL BANK OF COMMERCE
100 WALL STREET, NEW YORK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UPSRTC की 92 वृक्षों का मूल्यांकन

(92 वृक्षों का मूल्यांकन सूची)

A-5

ANNEXURE-5

सेवा में

क्षेत्रीय वनाधिकारी
शाहरी रेंज, लखनऊ

विषय :- ऊ० प्र० परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ में लगे वृक्षों की मूल्यांकन सूची

संदर्भ :- प्र० व० अवध का पत्रांक 3641/22-10 दि 07-11-23

महोदय

उपरोक्त विषयक क्रम से अवगत करना है की ऊ० प्र० परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ में लगे वृक्षों की मूल्यांकन सूची निम्न प्रकार है।-

क्र० सं०	वृक्ष की प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (सेमी० में)	व्यासवर्ग/	भौतिक दशा	श्रेणी	मूल्यांकन
1	2	3	4	5		
1.	आम	0.75	30-40	हारा खड़ा	U	306=10
2.	आम	0.80	20-30	हारा खड़ा	U	96=10
3.	फंदव	1.20	30-40	हारा खड़ा	U	1457=10
4.	गूलर	1.90	60-70	हारा खड़ा	U	2965=10
5.	यू० के०	2.50	75-80	हारा खड़ा	S	27125=10
6.	बकेन	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	31=10
7.	शिवा पेटिण्डा	1.10	30-40	हारा खड़ा	U	13912=10
8.	यू० के०	2.10	65-70	हारा खड़ा	S	20315=10
9.	सहस्रत	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	31=10
10.	बकेन	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	31=10
11.	यू० के०	2.50	75-80	हारा खड़ा	S	21125=10

12.	नीम	1.10	30-40	हारा खड़ा	U	1023
13.	पाकड़	3.00	90 से ऊपर	हारा खड़ा	U	3837
14.	यू के 0	1.00	30-35	हारा खड़ा	S	4200
15.	कूकाट	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	35
16.	सहतूत	0.35	10-20	हारा खड़ा	U	31
17.	गूलर	3.50	90 से ऊपर	हारा खड़ा	U	3837
18.	जामुन	1.90	60-70	हारा खड़ा	U	2765
19.	आम	1.60	50-60	हारा खड़ा	U	3435
20.	शिवा पेटिण्डा	1.60	50-60	हारा खड़ा	U	4095
21.	कूकाट	1.10	30-40	हारा खड़ा	U	691
22.	नीम	1.30	40-50	हारा खड़ा	U	2056
23.	अशोक	0.80	20-30	हारा खड़ा	U	306
24.	अशोक	0.75	20-30	हारा खड़ा	U	306
25.	अशोक	0.85	20-30	हारा खड़ा	U	306
26.	आम	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	1023
27.	शिवा पेटिण्डा	2.00	60-70	हारा खड़ा	U	5433
28.	शिवा पेटिण्डा	2.00	60-70	हारा खड़ा	U	5433
29.	आम	1.10	30-40	हारा खड़ा	U	1023
30.	शिवा पेटिण्डा	2.10	60-70	हारा खड़ा	U	5433
31.	आम	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	306
32.	नीम	1.20	30-40	हारा खड़ा	U	306
33.	शिवा पेटिण्डा	1.50	40-50	हारा खड़ा	U	2677

34.	कूकाट	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	
35.	कूकाट	1.60	50-60	हारा खड़ा	U	7000
36.	कूकाट	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	214900
37.	कूकाट	0.70	20-30	हारा खड़ा	U	69100
38.	कूकाट	1.80	50-60	हारा खड़ा	U	214900
39.	सहतूत	0.80	20-30	हारा खड़ा	U	214900
40.	आम	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	770000
41.	कूकाट	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	102300
42.	पाकड़	3.00	90 से ऊपर	हारा खड़ा	U	3500
43.	आम	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	383400
44.	आम	0.70	20-30	हारा खड़ा	U	3500
45.	आम	1.20	30-40	हारा खड़ा	U	300
46.	नीम	1.30	40-45	हारा खड़ा	U	102300
47.	पीपल	1.50	40-50	हारा खड़ा	U	205600
48.	नीम	1.80	50-60	हारा खड़ा	U	1230000
49.	कूकाट	1.40	40-50	हारा खड़ा	U	205600
50.	यू के 0	1.40	40-45	हारा खड़ा	\$	1230000
51.	यू के 0	1.70	50-55	हारा खड़ा	\$	321600
52.	नीम	1.40	40-50	हारा खड़ा	U	598300
53.	कूकाट	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	205600
54.	कूकाट	0.40	10-20	हारा खड़ा	U	28000
55.	कूकाट	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	28000

56.	कूकाट	0.45	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
57.	कूकाट	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	691=००
58.	कूकाट	1.10	30-40	हारा खड़ा	U	691=००
59.	नीम	1.30	40-50	हारा खड़ा	U	2056=००
60.	नीम	0.90	20-30	हारा खड़ा	U	306=००
61.	कूकाट	1.60	50-60	हारा खड़ा	U	2149=००
62.	सागौन	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	4725=००
63.	यू के 0	2.20	65-70	हारा खड़ा	S	6771=००
64.	बरगद	1.40	40-50	हारा खड़ा	U	1230 1230=००
65.	पीपल	1.40	40-50	हारा खड़ा	U	1230=००
66.	पीपल	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	306=००
67.	कूकाट	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
68.	पीपल	1.20	30-40	हारा खड़ा	U	691=००
69.	कूकाट	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
70.	पीपल	0.40	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
71.	पीपल	0.40	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
72.	पीपल	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
73.	कूकाट	0.55	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
74.	कूकाट	0.40	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
75.	पीपल	0.40	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
76.	पीपल	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	78=००
77.	कदंब	0.60	10-20	हारा खड़ा	U	78


78.	बेर	0.474	10-20	हारा खड़ा	U	78=५०
79.	पीपल	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	78=५०
80.	पीपल	1.00	30-40	हारा खड़ा	U	691=५०
81.	शीशम	1.50	40-50	हारा खड़ा	U	5710=५०
82.	अमलतास	0.90	20-30	हारा खड़ा	U	306=५०
83.	पीपल	3.00	90 से ऊपर	हारा खड़ा	U	3837=५०
84.	कट सागौन	0.40	10-20	हारा खड़ा	U	78=५०
85.	आम	0.35	10-20	हारा खड़ा	U	96=५०
86.	कूकाट	0.90	20-30	हारा खड़ा	U	306=५०
87.	आम	0.45	10-20	हारा खड़ा	U	96=५०
88.	आम	1.50	40-50	हारा खड़ा	U	2056=५०
89.	आम	1.30	40-50	हारा खड़ा	U	2056=५०
90.	आम	1.60	50-60	हारा खड़ा	U	2149=५०
91.	नीम	1.50	40-50	हारा खड़ा	U	2056=५०
92.	कूकाट	0.50	10-20	हारा खड़ा	U	78=५०

श्रीग - 195519=५०

पत्रांक २७६/२२५ दिनांक २८/१२/२५

(उज्जैन ३३५५
सी ३
गोमती नगर)

- प्रक्रीम कनाथलार, अवध महोदय को से उक्त की गलतमान सूची सूला से संबन्धित सोहित आगत कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- उक्त परिवार निगत प्रक्रीम कार्रवाई। विक्रित स्थल गोमती नगर को एक प्रति गलतमान सूची की प्रेषित।


 ज. म. वन अधिकारी
 सिटी रेंज लखनऊ

ANNEXURE-6

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र० लखनऊ।
पत्रांक 9677/22-10(स्कूटर इण्डिया), लखनऊ, दिनांक 24-05-2024।

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल),
उ०प्र०, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
निर्माण खण्ड-सप्तम्,
एच०आई०जी०-64-65, सेक्टर-डी,
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड लखनऊ-226012।

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद, लखनऊ स्थित स्कूटर इण्डिया परिसर में भवन/शेडों के निर्माण कार्य में बाधक कुल 308 वृक्षों के पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय पत्रांक-9647/22-10 दिनांक 18-05-2024 एवं आपका पत्रांक-179/एसआईडीए/वरि०प्र०(सि०)/लखनऊ, दिनांक 21-05-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखनऊ में औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद, लखनऊ स्थित स्कूटर इण्डिया परिसर में भवन/शेडों के निर्माण कार्य में बाधक विभिन्न प्रजाति के कुल 308 हरे खड़े वृक्षों के पातन अनुमति हेतु उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथा-संशोधित) एवं उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 की शासनादेश संख्या 24/81-5-2020-07-93, दिनांक 07.01.2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत जमानत हेतु एफ०डी०आर० संख्या-536503030069013 दिनांक 21-05-2024 रू० 308000.00 एवं पातन अनुमति हेतु डी०डी० सं०-428562 दिनांक 21-05-2024 रू० 40040.00 (यूनियन बैंक) इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनीनगर की जाँच आख्या एवं संस्तुति के अनुसार विषयक स्थल पर स्थित निर्माण कार्य में बाधक विभिन्न प्रजाति के कुल 308 हरे खड़े वृक्षों की पातन अनुज्ञा आपको इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है, कि उक्त वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। वृक्षों का मूल्यांकन संलग्न है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अथवा अवैध कटान होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उक्त 308 वृक्षों की पातन हेतु अवधि दिनांक 20-07-2024 तक अनुमन्य होगी। प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु उ०प्र० अभिवहन नियमावली-1978 का अनुपालन कराना होगा।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(सितानु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 9677/22-10(स्कूटर इण्डिया), तददिनांकित.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनीनगर को उनकी संस्तुति पत्र सं०-802/22, दिनांक 10-05-2024 क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकाष्ठ की निकासी नियमानुसार कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


(सितानु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

रिश्त

9170 924107

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

निर्माण खण्ड- राप्ता
एगोआईडीओ-64-65, रोफ्टर-डी
गागरारोपर फालोनी, कानपुर रोड
लखनऊ-226012
दूरभाष : 0522-2436019
वेबसाइट : www.online.upsida.com
E.Mail: cd7@upsida.co.in

A-7

ANNEXURE-7

प्रभागीय वनाधिकारी
21/475, अवध वन प्रभाग,
लखनऊ।

सन्दर्भ सं०: 154 / एगोआईडीए/वरिप्रो(रिओ)/लखनऊ/ दिनांक 08/05/2025

विषय - औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर में स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) के निर्माण कार्य में बाधक 308 पेड़ों के पातन के बदले 10 गुना वृक्षारोपण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 7617/22-10(स्कूटर इण्डिया), लखनऊ, दिनांक 27.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में 308 वृक्षों के पातन उपरान्त 3080 पेड़ों के वृक्षारोपण कराने की सूचना चाही गयी है के क्रम में अवगत कराना है कि वर्ष 2024-25 में 3080 पेड़ों के वृक्षारोपण के सापेक्ष औद्योगिक क्षेत्र चिनहट जनपद लखनऊ के टेलको कैम्पस में 2500 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया जिसकी प्रजातिवार सूची संलग्न कर प्रेषित है तथा अवशेष 580 पेड़ों का वृक्षारोपण इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः उपरोक्त सूचना अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय

(राजीव कुमार)

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

दिनांक

सन्दर्भ सं०:
प्रतिलिपि :-

/एगोआईडीए/वरिप्रो(रिओ)/लखनऊ/

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी) महोदय, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रधान महा प्रबन्धक (एस) महोदय, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महा प्रबन्धक (के०) महोदय, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव कुमार)

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

CO7



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024
पौध प्राप्ति हेतु आपूर्ति आदेश पत्र

जनपद: सखनऊ

आपूर्ति आदेश पत्र संख्या: N-426327711



क्रमांक	विवरण		क्रमांक	विवरण
1	ग्राम नगर पंचायत	Lachnow II	2	विकारा खण्ड
3	रेड	गुजरात	4	सौम्य पत्र जारी करने वाला विभाग
5	पौधजाता का नाम जहाँ से पौध उपलब्ध कराई जायेगी	गुजरात - 2 महीने पौधजाता	6	पौधों की संख्या
	सौम्य पत्र जारी करने वाले राक्षम प्राधिकारी का नाम	H N SIVANATHAN		2500
	कार्यालय का नाम	राज्य औद्योगिक विकास, सखनऊ		
	मोबाइल नं.	9415185177		
	हस्ताक्षर कार्यालय की मुहर			

पौधशाला प्रयोग हेतु

आपूर्ति आदेश पत्र संख्या: N-426327711, दिनांक: 02/07/2024

पौध आपूर्ति करने का दिनांक : 03/07/2024

क्रमांक	प्रजाति	संख्या
1	अनसतास	500
2	अर्जुन	500
3	औवला	500
4	श्रीराम	500
5	हरसिंगार	500
कुल पौधों की संख्या		2500
पौध वितरण रजिस्टर का क्रमांक		2500

पौधशाला प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर

पौध प्राप्तकर्ता का नाम/मोबाइल नं. एवं हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण निर्देश

- पौधों की प्राप्ति पौध की आपूर्ति हेतु जारी इंडेंट में वर्णित समयावधि के अंतर्गत ही प्राप्ति की जा सकती है।
- एच ईक्टर ट्राली पर 1000 से अधिक छोटी पौध नहीं होनी चाहिए।
- पौध खटते एवं उतारते समय इस पर विशेष ध्यान दिया जाये कि पौधे सीधे एवं सुव्यवस्थित रखे जाये।
- पौध उतारते समय छायादार स्थल पर ही पौधे उतारे जाएँ एवं उनके सिंचाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था भी सुचारु रूप से की जाये।
- पौध हटान / उतरान हेतु अधिक की व्यवस्था साभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- पौध प्राप्त करने वाले साभार्थी को अपने साथ आधार कार्ड / पहचान पत्र एवं अधिकार पत्र लाना आवश्यक होगा।
- किसी भी प्रकार की सहायता की स्थिति में जनपद स्तर पर स्थापित निबंधन कक्ष से संपर्क किया जाए।
- सब से कम्यतो द्वारा पौध वितरण का पूर्ण विवरण एक पत्रिका रजिस्टर में रखा जाय जिसे रोपण के उपरोक्त वन विभाग के कार्यकारी को उपलब्ध करा दिया जाय।
- पौध हटान व प्रजाति का चयन स्थल/मृदा विशेष के अनुरूप किया जाये एवं आवश्यकतानुसार तकनीक जानकारी क्षेत्रीय वन कार्यकारी से प्राप्त किया जाये।

UPSIDA के 3¹⁷⁸ वृक्षांश का मूल्यांकन

ANNEXURE-8

मूल्यांकन सूची प्रारूप-1 (308 वृक्षांश की सूची)

A-8

स्थल- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ स्थित स्कूटर इण्डिया परिसर।

रेंज- सरोजनी नगर

सन्दर्भ- 162 / एसआईडीए / वरि0प्र0(सि0) / लखनऊ / दिनांक 15/05/2024

क्र.सं.	प्रजाति	दशा	परिधि (मीटर)	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	व्यासवर्गवार दर व दशानुसार विवरण		मूल्यांकन धनराशि
1	ताड़	हरा खड़ा	0.95	30-40	1	2074	1/3	691
2	कचनार	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	236	1/3	79
3	जामुन	हरा खड़ा	0.42	10-20	1	410	1/3	137
4	जामुन	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	410	1/3	137
5	जामुन	हरा खड़ा	0.38	10-20	1	410	1/3	137
6	नीम	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	3071	1/3	1024
7	जामुन	हरा खड़ा	1.10	30-40	1	4137	1/3	1379
8	जामुन	हरा खड़ा	0.50	10-20	1	410	1/3	137
9	नीम	हरा खड़ा	0.65	20-30	1	919	1/3	306
10	बैर	हरा खड़ा	0.56	10-20	1	263	1/3	88
11	शीशम	हरा खड़ा	0.65	20-30	1	2956	1/3	985
12	शीशम	सूखा खड़ा	1.22	30-40	1	9450	1/4	2363
13	शीशम	हरा खड़ा	0.70	20-30	1	2956	1/3	985
14	शीशम	हरा खड़ा	0.80	20-30	1	2956	1/3	985
15	बैर	हरा खड़ा	0.80	20-30	1	525	1/3	175
16	शीशम	हरा खड़ा	1.95	60-70	1	47250	1/3	15750
17	बबूल	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	525	1/3	175
18	नीम	हरा खड़ा	0.95	30-40	1	3071	1/3	1024
19	शीशम	सूखा खड़ा	0.70	20-30	1	2956	1/4	739
20	शीशम	सूखा खड़ा	1.60	50-60	1	31185	1/4	7796
21	नीम	हरा खड़ा	0.95	30-40	1	3071	1/3	1024
22	बरागद	हरा खड़ा	5.00	70 से ऊपर	1	11513	1/3	3838
23	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.50	15-20	1	90	1	990
24	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.95	30-35	1	4200	1	4200
25	कचनार	हरा खड़ा	0.45	10-20	1	236	1/3	79
26	पीपल	हरा खड़ा	0.65	20-30	1	919	1/3	306
27	बबूल	हरा खड़ा	0.70	20-30	1	525	1/3	175
28	नीम	सूखा खड़ा	0.68	20-30	1	919	1/4	230

AR
(सूक्ष्म वृक्षांश विभाग)
लखनऊ, 15/05/2024

Anshu Yadav
(अंशु यादव)
वर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर
लखनऊ

63	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.58	15-20	1	990	1	990
64	सिरसा	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	1538	1/3	513
65	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.58	15-20	1	990	1	990
66	यूकेलिप्टस	सूखा खड़ा	0.98	30-35	1	4200	1	4200
67	नीम	हरा खड़ा	1.05	30-40	1	3071	1/3	1024
68	शीशम	हरा खड़ा	1.60	50-60	1	31185	1/3	10395
69	शीशम	हरा खड़ा	1.45	40-50	1	17131	1/3	5710
70	मदीना	हरा खड़ा	0.56	10-20	1	236	1/3	79
71	मदीना	हरा खड़ा	0.62	10-20	1	236	1/3	79
72	मदीना	हरा खड़ा	0.60	10-20	1	236	1/3	79
73	मदीना	हरा खड़ा	0.56	10-20	1	236	1/3	79
74	मदीना	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	919	1/3	306
75	मदीना	हरा खड़ा	0.56	10-20	1	236	1/3	79
76	मदीना	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	919	1/3	306
77	मदीना	हरा खड़ा	2.30	70 से ऊपर	1	11513	1/3	3838
78	मदीना	हरा खड़ा	0.45	10-20	1	236	1/3	79
79	मदीना	हरा खड़ा	0.78	20-30	1	919	1/3	306
80	गूलर	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	2074	1/3	691
81	मदीना	हरा खड़ा	1.30	40-50	1	3691	1/3	1230
82	जामुन	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	410	1/3	137
83	चिलविल	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	3071	1/3	1024
84	गूलर	हरा खड़ा	1.55	40-50	1	3691	1/3	1230
85	शीशम	हरा खड़ा	0.54	10-20	1	830	1/3	277
86	शीशम	हरा खड़ा	0.92	20-30	1	2956	1/3	985
87	शीशम	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	2956	1/3	985
88	यूकेलिप्टस	सूखा खड़ा	0.60	15-20	1	990	1	990
89	सिरसा	हरा खड़ा	0.45	10-20	1	410	1/3	137
90	सिरसा	हरा खड़ा	0.46	10-20	1	410	1/3	137
91	कचनार	हरा खड़ा	1.38	40-50	1	3691	1/3	1230
92	कचनार	हरा खड़ा	0.45	10-20	1	236	1/3	79
93	सिरसा	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	410	1/3	137
94	जामुन	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	410	1/3	137
95	जामुन	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	410	1/3	137
96	बबूल	हरा खड़ा	0.60	10-20	1	263	1/3	88

AK
 (शुद्धी के लिए यहाँ)
 30 से ऊपर
 Anshu Yadav
 अंशु यादव
 29.12.17

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सरोजनी नगर
 लखनऊ

97	सिरसा	हरा खड़ा	0.83	20-30	1	1538	1/3	513
98	कचनार	हरा खड़ा	1.12	30-40	1	2074	1/3	691
99	सिरसा	हरा खड़ा	2.50	70 से ऊपर	1	23625	1/3	7875
100	सिरसा	हरा खड़ा	1.20	30-40	1	4137	1/3	1379
101	सिरसा	हरा खड़ा	0.60	10-20	1	410	1/3	137
102	नीम	हरा खड़ा	0.65	20-30	1	919	1/3	306
103	सिरसा	हरा खड़ा	0.92	20-30	1	1538	1/3	513
104	नीम	हरा खड़ा	1.10	30-40	1	3071	1/3	1024
105	नीम	हरा खड़ा	1.30	40-50	1	6169	1/3	2056
106	नीम	हरा खड़ा	1.30	40-50	1	6169	1/3	2056
107	कचनार	हरा खड़ा	1.70	50-60	1	6447	1/3	2149
108	सिरसा	हरा खड़ा	0.69	20-30	1	1538	1/3	513
109	नीम	हरा खड़ा	0.92	20-30	1	919	1/3	306
110	नीम	हरा खड़ा	0.68	20-30	1	919	1/3	306
111	नीम	हरा खड़ा	1.50	40-50	1	6169	1/3	2056
112	नीम	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	919	1/3	306
113	नीम	सूखा खड़ा	0.56	10-20	1	289	1/4	72
114	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.50	15-20	1	990	1	990
115	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.75	20-25	1	1825	1	1825
116	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.20	35-40	1	5765	1	5765
117	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.00	30-35	1	4200	1	4200
118	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.38	40-45	1	7565	1	7565
119	सिरसा	हरा खड़ा	1.35	40-50	1	6799	1/3	2266
120	कचनार	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	2074	1/3	691
121	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.20	35-40	1	5765	1	5765
122	सिरसा	हरा खड़ा	0.58	10-20	1	410	1/3	137
123	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.50	15-20	1	990	1	990
124	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.32	10-15	1	415	1	415
125	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.45	45-50	1	9650	1	9650
126	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.00	30-35	1	4200	1	4200
127	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.50	45-50	1	9650	1	9650
128	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.60	15-20	1	990	1	990
129	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.72	20-25	1	1825	1	1825
130	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.10	30-35	1	4200	1	4200

AB
रूप के रिपोर्ट
किसी व. के

Anshu Yadav
(अनु यादव)
011

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर
लखनऊ

131	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.60	15-20	1	990	1	990
132	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.35	10-15	1	415	1	415
133	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.70	20-25	1	1825	1	1825
134	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.85	25-30	1	2890	1	2890
135	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.40	10-15	1	415	1	415
136	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.46	10-15	1	415	1	415
137	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.00	30-35	1	4200	1	4200
138	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.70	20-25	1	1825	1	1825
139	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.15	35-40	1	5765	1	5765
140	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.87	25-30	1	2890	1	2890
141	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.44	10-15	1	415	1	415
142	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.85	25-30	1	2890	1	2890
143	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.50	15-20	1	990	1	990
144	जंगल जलेबी	हरा खड़ा	0.80	20-30	1	919	1/3	306
145	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.35	40-45	1	7565	1	7565
146	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.85	25-30	1	2890	1	2890
147	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.65	50-55	1	11950	1	11950
148	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.65	20-25	1	1825	1	1825
149	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.42	10-15	1	415	1	415
150	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.25	35-40	1	5765	1	5765
151	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.77	20-25	1	1825	1	1825
152	शीशम	हरा खड़ा	0.95	30-40	1	9450	1/3	3150
153	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.15	35-40	1	5765	1	5765
154	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.50	45-50	1	9650	1	9650
155	चिलविल	हरा खड़ा	0.48	10-20	1	289	1/3	96
156	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.72	20-25	1	1825	1	1825
157	नीम	हरा खड़ा	0.50	10-20	1	289	1/3	96
158	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.65	20-25	1	1825	1	1825
159	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.90	25-30	1	2890	1	2890
160	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.72	20-25	1	1825	1	1825
161	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.18	35-40	1	5765	1	5765
162	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.80	25-30	1	2890	1	2890
163	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.00	30-35	1	4200	1	4200
164	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.62	15-20	1	990	1	990

AK
स्को के विवेचन

Anshu yadav
(अंशु यादव)
9.2.

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर
लखनऊ

165	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.35	40-45	1	7565	1	7565
166	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.95	30-35	1	4200	1	4200
167	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.08	30-35	1	4200	1	4200
168	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.40	40-45	1	7565	1	7565
169	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.52	15-20	1	990	1	990
170	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.65	20-25	1	1825	1	1825
171	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.58	15-20	1	990	1	990
172	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.83	25-30	1	2890	1	2890
173	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.83	25-30	1	2890	1	2890
174	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.85	55-60	1	14490	1	14490
175	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.56	15-20	1	990	1	990
176	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.00	30-35	1	4200	1	4200
177	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.12	35-40	1	5765	1	5765
178	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.10	30-35	1	4200	1	4200
179	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.10	30-35	1	4200	1	4200
180	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.45	10-15	1	415	1	415
181	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.40	40-45	1	7565	1	7565
182	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.45	45-50	1	9650	1	9650
183	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.55	15-20	1	990	1	990
184	यूकेलिप्टस ✓	सूखा खड़ा	1/4	90 से ऊपर	1	34075	1	34075
185	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.28	40-45	1	7565	1	7565
186	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.05	30-35	1	4200	1	4200
187	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	0.50	15-20	1	990	1	990
188	सिरसा	हरा खड़ा	1.20	30-40	1	4137	1/3	1379
189	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	1.20	35-40	1	5765	1	5765
190	सिरसा	हरा खड़ा	0.55	10-20	1	410	1/3	137
191	सिरसा	हरा खड़ा	0.50	10-20	1	410	1/3	137
192	सिरसा	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	4137	1/3	1379
193	सिरसा	हरा खड़ा	1.50	40-50	1	6799	1/3	2266
194	सिरसा	हरा खड़ा	0.78	20-30	1	1538	1/3	513
195	यूकेलिप्टस ✓	हरा खड़ा	2.50	75-80	1	23500	1	23500
196	बबूल	हरा खड़ा	0.55	10-20	1	263	1/3	88
197	जामुन	हरा खड़ा	1.60	50-60	1	12941	1/3	4314
198	कचनार	हरा खड़ा	2.20	60-70	1	8295	1/3	2765

(रिजि. के. रिजि. योजन.)
 (रिजि. के. रिजि. योजन.)

Anshu Yadav
 (रिजि. योजन.)
 कर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सरोजनी नगर
 लखनऊ

199	कचनार	हरा खड़ा	0.42	10-20	1	236	1/3	79
200	बबूल	हरा खड़ा	0.58	10-20	1	263	1/3	88
201	बबूल	हरा खड़ा	0.54	10-20	1	263	1/3	88
202	शीशम	हरा खड़ा	0.50	10-20	1	830	1/3	277
203	शीशम	हरा खड़ा	1.50	40-50	1	17131	1/3	5710
204	सिरसा	हरा खड़ा	1.48	40-50	1	6799	1/3	2266
205	सिरसा	हरा खड़ा	0.75	20-30	1	1538	1/3	513
206	सिरसा	हरा खड़ा	0.76	20-30	1	1538	1/3	513
207	सिरसा	हरा खड़ा	0.55	10-20	1	410	1/3	137
208	बबूल	हरा खड़ा	0.60	10-20	1	263	1/3	88
209	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.88	25-30	1	2890	1	2890
210	अमिलताष	हरा खड़ा	0.40	10-20	1	236	1/3	79
211	बबूल	हरा खड़ा	1.20	30-40	1	1339	1/3	446
212	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.48	15-20	1	990	1	990
213	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.38	40-45	1	7565	1	7565
214	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.75	55-60	1	14490	1	14490
215	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.50	45-50	1	9650	1	9650
216	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	0.80	25-30	1	2890	1	2890
217	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.70	50-55	1	11950	1	11950
218	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.42	45-50	1	9650	1	9650
219	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.00	30-35	1	4200	1	4200
220	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.58	45-50	1	9650	1	9650
221	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.85	55-60	1	14490	1	14490
222	नीम	हरा खड़ा	1.24	30-40	1	3071	1/3	1024
223	चिलविल	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	3071	1/3	1024
224	चिलविल	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	3071	1/3	1024
225	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.12	35-40	1	5765	1	5765
226	सिरसा	हरा खड़ा	0.75	20-30	1	1538	1/3	513
227	अर्जुन	हरा खड़ा	2.00	60-70	1	8295	1/3	2765
228	अर्जुन	हरा खड़ा	2.50	70 से ऊपर	1	11513	1/3	3838
229	बबूल	हरा खड़ा	1.65	50-60	1	5198	1/3	1733
230	गूलर	हरा खड़ा	1.50	40-50	1	3691	1/3	1230
231	गूलर	हरा खड़ा	1.90	60-70	1	8295	1/3	2765
232	आम	हरा खड़ा	1.05	30-40	1	3071	1/3	1024

AK
 (रूप के लिए यहाँ)
 20/10/2018

Anshu Yadav
 (अंशु यादव)
 व.प.

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सरोजनी नगर
 लखनऊ

542,158

233	अर्जुन	हरा खड़ा	1.22	30-40	1	2074	1/3	691
234	बबूल	हरा खड़ा	0.55	10-20	1	263	1/3	88
235	बबूल	हरा खड़ा	1.45	40-50	1	3008	1/3	1003
236	गूलर	हरा खड़ा	1.20	30-40	1	2074	1/3	691
237	गूलर	हरा खड़ा	0.65	20-30	1	919	1/3	306
238	गूलर	हरा खड़ा	0.72	20-30	1	919	1/3	306
239	बबूल	हरा खड़ा	1.40	40-50	1	3008	1/3	1003
240	गुलमोहर	हरा खड़ा	1.75	50-60	1	6447	1/3	2149
241	नीम	हरा खड़ा	0.80	20-30	1	919	1/3	306
242	जामुन	हरा खड़ा	1.90	60-70	1	15750	1/3	5250
243	नीम	हरा खड़ा	0.62	10-20	1	289	1/3	96
244	नीम	हरा खड़ा	0.75	20-30	1	919	1/3	306
245	कंजी	हरा खड़ा	0.55	10-20	1	236	1/3	79
246	बबूल	हरा खड़ा	0.75	20-30	1	525	1/3	175
247	कचनार	हरा खड़ा	0.90	20-30	1	919	1/3	306
248	कंजी	हरा खड़ा	0.72	20-30	1	919	1/3	306
249	जामुन	हरा खड़ा	1.50	40-50	1	6799	1/3	2266
250	सिरसा	हरा खड़ा	1.55	40-50	1	6799	1/3	2266
251	जामुन	हरा खड़ा	1.45	40-50	1	6799	1/3	2266
252	शीशम	सूखा खड़ा	1.30	40-50	1	17131	1/4	4283
253	अर्जुन	हरा खड़ा	1.25	30-40	1	2074	1/3	691
254	शीशम	हरा खड़ा	1.08	30-40	1	9450	1/3	3150
255	अर्जुन	हरा खड़ा	1.15	30-40	1	2074	1/3	691
256	अर्जुन	हरा खड़ा	1.42	40-50	1	3691	1/3	1230
257	नीम	हरा खड़ा	0.94	20-30	1	919	1/3	306
258	कंजी	हरा खड़ा	0.62	10-20	1	236	1/3	79
259	जामुन	हरा खड़ा	1.03	30-40	1	4137	1/3	1379
260	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.40	40-45	1	7565	1	7565
261	नीम	हरा खड़ा	0.60	10-20	1	289	1/3	96
262	यूकेलिप्टस	हरा खड़ा	1.25	35-40	1	5765	1	5765
263	नीम	हरा खड़ा	0.65	20-30	1	919	1/3	306
264	नीम	हरा खड़ा	0.92	20-30	1	919	1/3	306
265	कंजी	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	2074	1/3	691
266	शीशम	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	9450	1/3	3150


 (यूकेलिप्टस)


Anshu Yadav
 (यूकेलिप्टस)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सरोजनी नगर
 लखनऊ

301	बबूल	हरा खड़ा	1.60	50-60	1	5198	1/3	1733
302	नीम	हरा खड़ा	0.80	20-30	1	919	1/3	306
303	नीम	हरा खड़ा	1.40	40-50	1	6169	1/3	2056
304	नीम	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	3071	1/3	1024
305	कचनार	हरा खड़ा	0.62	10-20	1	236	1/3	79
306	बबूल	हरा खड़ा	1.20	30-40	1	1339	1/3	446
307	शीशम	हरा खड़ा	1.05	30-40	1	9450	1/3	3150
308	शीशम	हरा खड़ा	1.00	30-40	1	9450	1/3	3150
					योग-	308		817616


 (ए० के० सिंह चौहान)
 उ० प्र० व० प्र०

Anshu Yadav
 अ० य० प्र०
 व० प्र०


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सरोजनी नगर
 लखनऊ